निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्या– सी-207 /बा0वि0परि0/स्था–3/18–19 दिनांक 20 अप्रैल, 2018

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी
प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

विषय जनपद में कार्यरत विभाग में कार्यरत कार्मिकों की स्वमूल्यॉकन आख्या पर तीनों स्तरों के मन्तव्य कराये जाने के सम्बन्ध में

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व प्रेषित निदेशालय पत्र संख्या–सी–60/बा0वि0परि0/स्था–3/15–16 दिनांक 15.04.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आप अवगत ही है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर किसी भी कर्मचारी के पदोन्नति पर विचार किया जाता है, ऐसे में तीनो स्तरों पर स्वमूल्यॉकन आख्याओं पर अंकन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रायः यह देखने में आया है कि जनपदों में कार्यरत विभाग के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ समयबद्ध एवं नियमित रूप से प्राप्त नही होती है और जो प्रविष्टियॉ निदेशालय को प्राप्त हो रही है उसमें केवल प्रतिवेदक अधिकारी का मन्तव्य होता है। जबकि समीक्षक अधिकारी व स्वीकर्ता अधिकारी की ओर से मन्ताव्य अंकित नही किया गया है, ये प्रविष्टियॉ अधूरी है और पदोन्नति पर विचार करते समय ये मान्य नही होगी।

प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित करते समय सत्यनिष्ठा प्रमाणीकरण के साथ–साथ श्रेणी यथा उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, अच्छा, संतोषजनक/खराब का भी स्पष्ट अंकन करें।

आप अवगत ही है कि सरकारी सेवकों के कार्य का मूल्यॉकन, सामान्तया, वित्तीय वर्ष को आधार बना कर किया जाता है एवं तद्नुसार उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या–36/1/1976–का–2, दिनांक 30.04.1991 द्वारा सरकारी सेवकों की चरित्र पंजी में वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु निम्नलिखित समय सारणी नियत की गयी है :–

"(1) स्वमूल्यांकन 15 मई तक उपलब्ध कराये जायें।
(2) जहां प्रविष्टियां अंकित करने के लिए केवल दो स्तर निर्धारित है, वहां, प्रतिवेदक अधिकारी अपना मंतव्य 30 सितम्बर तक अंकित कर दें।
(3) जिन मामलों में प्रविष्टि अंकित करने के तीन स्तर निर्धारित है, उनमें प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी तथा स्वीकृर्ता प्राधिकारी अपने मनतव्यं कमशः 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितम्बर तक अंकित कर दें।
(4) मण्डल/जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रविष्टि अंकित करने के विशेष अधिकार के तहत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपनी प्रविष्टियां विलम्बतः 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दें।
(5) निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार प्रत्येक स्तर से मन्तव्य प्राप्त करने का दायित्व स्वीकर्ता अधिकारी का होगा जो इस सम्बन्ध में अधिकारियों की डिफाल्ट पर निगाह रखेगें तथा उनकी चरित्र पजी में तद्नुसार प्रविष्टि अंकित करेंगें/कराएगें।

वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन लिपिक संवर्ग, मुख्य सेविकायें, बाल विकास परियोजना अधिकारियों व स्वयॅ आदि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को तीनों स्तरों से पूर्ण करा कर मुख्यालय भिजवायें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

20/4/18

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।